कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 2953 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, दिसम्बर, 03, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हे0 वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41830/2019

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 167/11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक–14.07.2021 इस कार्यालय का पत्र सं0–1393/मी0/33 दिनांक 20.09.2021 तथा आपका पत्र सं0–1035/11–सी दिनांक 24.09.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक– 24.09.2021 द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियो मे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1701/रेनुकूट/15–27 दिनांक 30.11.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है :–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1035/11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक–24.09.2021 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधो के वृक्षारोपण के संबंध मे प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है, जिसमे (औषधीय) पौधो का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नही है, किन्तु प्रस्ताव मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है, जिसमे पुनः बौने (औषधीय) पौधो का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नही है। इस संबंध मे प्रमाण–पत्र प्रस्ताव मे संलग्न करते हुए आॅन लाइन भाग–2 के Additional Information Details में अपलोड किया गया है।
2	हार्ड कापी भाग–2 मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित विवरण का पुनः उल्लेख नही किया गया है तथा हार्ड कापी भाग–2 भी अपूर्ण है। अतः पूर्ण हार्ड कापी भाग–2 प्रस्ताव मे संलग्न कर ऑन लाइन भाग–2 में अपलोड करे।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि वनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारुप मे क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण भरने हेतु कोई कालम निर्धारित नही है इसके कारण हार्ड कापी मे क्षतिपूरक वनीकरण का विवरण नहीं भरा गया है। ऑन लाइन मे क्षतिपूरक वनीकरण का विवरण भरने हेतु विकल्प दिया गया है जिसमे पूर्ण विवरण भरा गया है।
3	हार्ड कापी भाग–2 District Profile के बिन्दु–8(iv) मे विवरण पुनः अंकित नही किया गया है तथा ऑनलाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 मे जिले का वन क्षेत्रफल भिन्न–भिन्न फिड किया गया है। अतः एक समान सही विवरण फिड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि वनीकरण प्रस्ताव से संबंधित District Profile के बिन्दु–8(iv) के हार्ड कापी भाग–2 मे विवरण अंकित करते हुए हार्ड कापी भाग–2 एवं ऑन लाइन भाग–2 में जिले का क्षेत्रफल एवं जिले का वन क्षेत्रफल एक समान फीड किया गया है।

4	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–15 मे मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड नही की गयी है।	इस बिन्दु के अनुपालन में ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–15 मे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड कर दी गयी है।
5	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–16 मे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति के स्थान पर Query का पत्र अपलोड किया गया है, जो कि गलत है। अतः इसे एन0आई0सी0 नई दिल्ली सेडिलीट कराकर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाइन भाग–2 के कमांक–16 मे त्रुटिपूर्ण अपलोड किये गये अभिलेखो को एन0आई0सी0 नई दिल्ली से डिलीट कराते हुए प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट की संस्तुति पत्र अपलोड कर दिया गया है।
6	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 मे मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपनी संस्तुति के स्थान पर Query का पत्र अपलोड किया गया है, जो कि गलत है। अतः इसे एन0आई0सी0 नई दिल्ली सेडिलीट कराकर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 मे त्रुटिपूर्ण अपलोड किये गये अभिलेखो को एन0आई0सी0 नई दिल्ली से डिलीट कराते हुए मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर की संस्तुति पत्र अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दुवार आख्या एद्दसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 1483 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–1701/रेनुकूट/15–27 दिनांक 30.11.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 7/XII/2021
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

भाग– III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रन्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.1996 से 15.10.2021 तक) लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 है0 वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.2021 से 15.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41830/2019

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणो को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे	निरीक्षण दिनांक–06.07.2021 **निरीक्षण टिप्पणी संलग्नक है।**
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।	प्रश्नगत प्रस्ताव के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो एवं तत्सम्बन्धी नियमो के अन्तर्गत सुसंगत होने की दशा में प्रश्नगत वन भूमि नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की जाती है

दिनांक 09-07-2021

हस्ताक्षर वन संरक्षक मीरजापुर वृत्त मीरजापुर

स्थान–मीरजापुर

नाम

सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी–

ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41830/2019 जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.1996 से 15.10.2021 तक) लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हे0 वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.2021 से 15.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण टिप्पणीः–

दिनांक 06.07.2021 को प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के साथ प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्ताव में संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र में उल्लिखित वनभूमि को पुनः नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित है। वह प्रस्तावित क्षेत्र की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य पायी गयी है।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर